

RCMS  
2019/00019

07

फर्द अहकाम

(नियम 13)

(General Rules (Civil) Rule 103, Appendix 'B' Form No. 91)

अज अदालत तहरीलदार, सिणधरी




मिळी  
6/8/19

राजस्थान सरकार जरिये पटवारी  
सिणधरी

बनाम

अंकारनाथ वळ दाडभनाथ  
काय वलावलादिप्रा सिणधरी  
कोलीरा मु. नं. 07 सन 2019

किस्म मुकदमा- राज. भू. राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
18/7/19	<p>पटवारी हल्का..... सिणधरी..... ने रिपोर्ट पेश कर सूचित किया कि उक्त अप्रार्थी ने संवत् 2076 में मौजा..... के खसरा संख्या ..... 61..... रकबा ..... किरम भूमि ..... पर नाजायज अतिक्रमण कर कब्जा किया है। अतः राजस्थान राजस्व भू अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत मामला दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैर सायल को जरिये नोटिस तलब किया जावे। पत्रावली दिनांक 06/8/19..... को वमुकाम सिणधरी पेश हो।</p> <p style="text-align: center;">               तहरीलदार सिणधरी           </p>	<p>6/8/19</p> <p>अंकारनाथ काय वलावलादिप्रा सिणधरी</p> <p style="text-align: center;">               अंकारनाथ                Ankan Nath           </p>

पत्रावली प्रस्तुत हुई। गैर सायल उपस्थित। पटवारी हल्का उपस्थित। गैर सायल ने अपने कब्जे के बावत कोई विधि सम्मत साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया, गैर सायल द्वारा अंकारनाथ का पत्रावली व काया बनाकर प्रतिक्रमा करना

हवीकार किय, अतः गैर सनापत्य को  
अतिरुमी मानते हुए, पत्रावली के सत्य  
सुधार है। निर्वर्ण अलग से लिखा  
जाकर शामिल पत्रावली है। निर्वर्ण  
शुले नपायालय के सुनाया गया।

पत्रावली के सत्य सुधार होकर  
टाखिल डफ्तर है।

तहसीलदार सिणधरी  
जिला-बाड़मेर